BA (Hons.) PART –II, Paper- III

डॉ0 गौतम कुमार

अतिथि शिक्षक

राजनीति विज्ञान विभाग

आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।

केन्द्र तथा राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध

संघात्मक शासन व्यवस्था में, संघ तथा राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों का समायोजन करना सबसे कठिन समस्या है। भारतीय संविधान के 11वें भाग के दूसरे अध्याय में केन्द्र तथा राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 73 के अनुसार, प्रशासकीय शक्ति उन विषयों तक सीमित है जिस पर संसद को विधि निर्माण का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के अनुसार, राज्यों की प्रशासनिक शक्तियॉ, राज्यों के विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार तक ही सीमित है। समवर्ती सूची के विषयों के संबंध में प्रशासनिक अधिकार सधारणतया राज्यों में निहित है, किन्तु इन विषयों पर राज्य की प्रशासनिक शक्तियों को संघ की ऐसी प्रशासनिक शक्तियों द्वारा सीमित रखा गया है, जो संविधान द्वारा अथवा संसदीय विधि द्वारा प्रदत है। भारत में संघ तथा राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध निर्धारित करने वाले उपबन्धों का दो वर्गो में विभाजित किया जा सकता है।

(क) राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण के उपाय

(ख) राज्यों में परस्पर सहयोग स्थापित करने के उपाय।

(क) **राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण के उपाय** – आपातकाल के समय में केन्द्रीय सरकार का राज्य सरकार के ऊपर पूर्ण नियंत्रण रहता है। साधारण काल में राज्य सरकार को अपने क्षेत्र में पूर्ण सत्ता प्राप्त होती है फिर भी केन्द्रीय सरकार कुछ सीमा तक अपना नियंत्रण रखती है। नियंत्रण में निम्नलिखित साधनों को अपनाया गया है –

1. **राज्य सरकारों को निर्देश** – अनुच्छेद 256 के अनुसार, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार होगा कि संसद द्वारा निर्मित कानूनों का पालन सुनिश्चित रहे। संघीय कार्यपालिका को अवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश देने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 256 संघीय कार्यपालिका को उसके निर्देश को लागू करने के लिए बाध्यकारी शक्ति प्रदान करता है। इसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्देशों का पालन नहीं करने पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर राज्य के शासन को अपने हाथ में ले सकता है। संघीय कार्यपालिका किसी राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत रेल–पथ की रक्षा के लिए उस राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। संचार साधनों तथा रेल पथों के निर्माण, देखभाल तथा संरक्षण के संबंध में संघीय कार्यपालिका के निर्देश पर जो अतिरिक्त व्यय होगा, उस अतिरिक्त व्यय का वहन संघीय सरकार को करना पड़ता है।
2. **राज्य सरकारों को संघीय कृत्य सौंपना** – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 258 के अनुसार संघ राज्यों को अपने कुछ प्रशासनिक कृत्य हस्तान्तरित कर सकता है तथा राज्य संघ को अपने कुछ प्रशासनिक कृत्य सौंप सकता है। संघीय सरकार द्वारा राज्य को प्रशासनिक कृत्य सौंपे जाने में होने वाले खर्च का वहन संघीय सरकार करेगी।
3. **अखिल भारतीय सेवाएँ** – भारतीय संविधान संघ तथा राज्य सरकारों के लिए अलग–अलग सेवाओं की व्यवस्था करता है लेकिन कुछ ऐसी सेवाओं की भी व्यवस्था है, जो संघ तथा राज्य सरकारों के लिए सामान्य है, उसे अखिल भारतीय सेवाएँ कहते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों का वेतन, भत्ते इत्यादि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है लेकिन वेतन श्रृंखला और अन्य उपलब्धियॉ केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।
4. **सहायता अनुदान** – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के अनुसार संसद राज्य सरकारों को आवश्यकतानुसार सहायता व अनुदान दे सकती है। अनुदान देते समय संसद राज्यों पर कुछ शर्त्ते लगाकर उसके व्यय को भी नियंत्रित कर सकती है।
5. **आपातकाल की घोषणा** – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। आपातकाल की घोषणा होते ही राज्य पर संघीय सरकार का नियंत्रण हो जाता है।

(ख) राज्यों में परस्पर सौजन्य स्थापित करने के उपाय – संघीय शासन प्रणाली में पारस्परिक सौजन्य का होना आवश्यक है। यद्यपि राज्यों को पृथक् क्षेत्राधिकार प्राप्त है लेकिन संविधान में निम्नलिखित विषयों पर राज्यों के पारस्परिक सहयोग पर बल दिया गया है :–

1. **संघीय क्रियाओं, अभिलेखों तथा न्यायिक कार्यवाहियों को मान्यता प्रदान करना** – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 261 के अनुसार, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र संघ की तथा प्रत्येक राज्य की सार्वजनिक क्रियाओं, अभिलेखों तथा न्यायिक कार्यवाहियों को पूरी मान्यता दी जायेगी। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग के दिवानी न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय तथा आदेश उस राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत सभी स्थानों पर निष्पादित किए जायेगें।
2. **अन्तर्राज्य परिषद् की व्यवस्था** – अनुच्छेद 263 के अन्तर्गत, राज्यों के बीच पारस्परिक सहयोग के लिए एक अन्तर्राजीय परिषद् का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति को सार्वजनिक हित की आवश्यकता महसूस होने पर अन्तर्राज्यीय परिषद् की स्थापना की जा सकेगी। इस परिषद् का प्रमुख कार्य राज्यों के मध्य विवादों का परीक्षण करना तथा उस पर परामर्श देना है। भारतीय राजव्यवस्था में पहली बार जून 1990 में अन्तर्राज्य परिषद् की स्थापना की गई है।
3. **अन्तर्राज्यीय नदी के जल संबंधी विवादों का निर्णय** – अनुच्छेद 262 के अनुसार, किसी अन्तर्राज्यीय नदी तथा घाटी के जलाश्यों के प्रयोग, वितरण, विवाद या फरियाद के न्याय निर्णय के बारे में संसद विधि द्वारा व्यवस्था करेगी। ऐसे विवाद के संबंध में संसद यह निर्णय कर सकती है कि सर्वोच्च न्यायालय या अन्य कोई न्यायालय इस संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करेगा।
4. **क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण** – व्यवहार में सम्पूर्ण भारत को पॉच क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद् है। क्षेत्रीय परिषदों के कार्य उन विषयों से संबंधित होंगे जिनमें क्षेत्र के सभी या कुछ राज्य या संघ और एक या अधिक राज्य रूचि रखते हैं।

5. अन्तर्राज्यीय व्यापार–वाणिज्य से संबंधित प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए संसद एक पदाधिकारी की नियुक्ति करेगी तथा ऐसी शक्तियों और कर्त्तव्य को सौंप सकती है जो वह आवश्यक समझे।